पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक 7919/अका./का.प/2019 रायपुर, दिनांक 23/01/2019

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तिरालिसवीं बैठक बुधवार, दिनांक 16.01.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
2. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
3. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय – सदस्य
4. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
5. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा – सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.10.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **सम्पुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 25.10.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

3. मानव संसाधन विकास केन्द्र पं. र.वि.वि. रायपुर के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तित कर संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक पदनाम किये जाने की सूचना ग्रहण कर छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **नाम परिवर्तन की सूचना ग्रहण की गई।**

4. संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को संवैतनिक प्रसूति अवकाश अनुज्ञेय करने विश्वविद्यालय विनियम 122 में प्रावधान किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.09.2018 में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए जाने की स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी कार्यपरिषद् में रखे जाने की अनुशंसा की गई।**

5. माँ बंजारी ट्रस्ट समिति हेतु एक नये सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय : माँ बंजारी ट्रस्ट समिति हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(1) शिक्षक समुदाय से सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ के lien में होने के कारण प्रो. एन. के. बघमार का मनोनयन किया गया है इसकी सूचना ग्रहण की गई।

(2) रेक्टर (पदेन) की अनुपस्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य श्री नवीन मार्कण्डेय के स्थान पर प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, कुलअनुशासक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दो वर्ष के लिये मनोनीत किया गया।

6. राज्य शासन के महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश बाबत् छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक 492/एफ 2014–71–00183/वित्त /नियम/चार, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक 492/एफ 2014–71–00183/वित्त/नियम/चार दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के द्वारा महिला कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष के कम उम्र के दो ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव मान्य किया गया।

7. एन.सी.एन.आर. में कार्यरत पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. रविशंकर चौहान को पदभार ग्रहण तिथि से (04.08.2018 से) संविदा सहायक प्राध्यापक के लिए निर्धारित एक मुश्त मासिक संविदा वेतन रु. 36465/– स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संविदा सहायक प्राध्यापकों एवं पोस्ट डॉक्टरल फेलो को निश्चित संविदा वेतन 29400/– दिया जा रहा था। अतः संविदा सहायक प्राध्यापकों की तरह पोस्ट डॉक्टरल फेलो के पद पर कार्यरत डॉ. रविशंकर चौहान को भी उनके पदभार ग्रहण तिथि 04.08.2018 से 36465/– एकमुश्त मासिक संविदा वेतन स्वीकृति को मान्य किया गया।

8. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पिछले कार्यपरिषद् के निर्णय अनुसार यथस्थिति रखा जाए।

9. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिये विकल्प परिवर्तन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के सबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1358/एल 2018–71–00036/वि/नि./चार, दिनांक 27.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 30 सितम्बर 2018 तक विकल्प परिवर्तन संबंधी आवेदन मंगाए गए। अतः विकल्प पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत् तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता विकल्प परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव मान्य किया गया।

10. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इंडियन काफी हाउस की मासिक किराया (मेंटेनेंस चार्ज) में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : इंडियन काफी हाउस द्वारा कमजोर विक्रय एवं भारी नुकसान का कारण बताते हुए दिनांक 21.12.2018 को किए गए निवेदन के आधार पर मेंटनेंस चार्ज में 50% छूट देते हुए रु. 12685.75 प्रतिमाह दिनांक 15.11.2017 से दिनांक 14.11.2019 तक के लिए निर्धारित किया गया। अतः अब तक का किराया जमा करवाया जाए। इसके पश्चात् समीक्षा करके पुनः प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

11. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते के पुनरीक्षिण का छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र. 254/एफ–1000847/ वित्त/नियम/चार/12 दिनांक 08 अगस्त, 2012 (वित्त निर्देश 60/2012) को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव मान्य किया गया।**

12. विश्वविद्यालय का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदित किया गया।**

अधिष्ठाता छात्र कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. South Asian Universities Youth Festival (SAUFEST) 2018–19 आयोजन के लिये रु. 60,00,000 (रुपये साठ लाख) का बजट प्रावधान विश्वविद्यालय से किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दिनांक 22 से 26 फरवरी 2019 में 12th South Asian Universities Youth festival (SAUFEST) 2018-19 की मेजबानी विश्वविद्यालय कर रहा है, प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय बजट में कोई भी बजट प्रावधान नहीं है। कार्यक्रम के आयोजन हतु विश्वविद्यालय के सामान्य बजट मद से Youth Festicval Fund में राशि रुपये 40.00 लाख एवं Student Welfare Fund में प्रावधानित राशि से रुपये 5.00 लाख तथा रु. 5.00 लाख ए.आई.यू. से प्राप्त होने की दशा में शेष राशि अर्थात रु. 15.00 लाख की व्यवस्था Sponsorship से की जावेगी। अतः बजट पुनर्विनियोजन एवं डी.पी.आर. अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि रुपये 65.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. श्री जानकू राम चेलक के आवेदन के आधार पर एम.एस–सी. भौतिकी की परीक्षा परिणाम को निरस्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री जानकू राम चेलक के एम.एस–सी. भौतिकी की परीक्षा परिणाम को निरस्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

15. सत्र 2018–19 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।**

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument क्रय करने हेतु 10,66,260/– की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument क्रय करने हेतु 10,66,260/– की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. DRDO New Delhi द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत Fluorescence Microscope क्रय किये जाने हेतु रु. 5,25,000/– जी.एस.टी. (5%) सहित स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **DRDO New Delhi द्वारा स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत Fluorescence Microscope क्रय किये जाने हेतु रु. 5,25,000/– जी.एस.टी. (5%) सहित स्वीकृति प्रदान की गई।**

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

18. मूल विज्ञान केन्द्र के Physics, Biology, Chemistry व Communication Skill Lab हेतु 54 कम्प्यूटर, 04 प्रिंटर व 54 UPS का क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 28,90,200/– राशि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **मूल विज्ञान केन्द्र के Physics, Biology, Chemistry व Communication Skill Lab हेतु 54 कम्प्यूटर, 04 प्रिंटर व 54 UPS क्रय किए जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 28,90,200/– का अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट पोल तथा उनमें LED Street light Fittings लगाने हेतु रु. 10,89,451/– के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

20. विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने उद्यान विकसित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के कला भवन के सामने उद्यान विकसित करने हेतु उद्यानिकी विभाग छ.ग. शासन के प्रस्तावानुसार अनुमानित राशि रु. 12,24,669/– (रुपये बारह लाख चौबीस हजार छै सौ उनहत्तर मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।**

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :–

21. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 29.11.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

22. शासकीय महाविद्यालय, भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा एम.ए. पूर्व– हिंदी एवं राजनीति शास्त्र विषय की सम्बद्धता नहीं कराये जाने, के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **शासकीय महाविद्यालय, भटगांव, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा एम.ए. पूर्व– हिंदी एवं राजनीति शास्त्र विषय की सम्बद्धता नहीं कराये जाने, के संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन को अवगत कराया जाए। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण नहीं कराये जाने पर आगामी सत्र से प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने हेतु सचिव, उच्च शिक्षा एवम् आयुक्त, उच्च शिक्षा को पत्र लिखे जाने की अनुशंसा की गई।**

23. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.01.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

24. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था अनुबंध New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur फर्म का एक वर्ष दिनांक 01.03.2019 से 29.02.2020 तक के लिए बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

25. मूलविज्ञान केन्द्र में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि की कार्येत्तर स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **मूलविज्ञान केन्द्र में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि रु. 33,97,950/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण की गई।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास परिसर में उद्यान विकसित करने के संबंध में उद्यानिकी विभाग छ.ग. शासन के प्रस्तावानुसार राशि रु. 6,42,115/– की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **अनुमोदन किया गया।**

02. 510 स्टूडेंट टेबल एवं 510 स्टूडेंट चेयर क्रय किये जाने के हेतु रु. 17,85,000/– की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई पूर्व में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित फर्म से खरीदे जाने की जाने की स्थिति में CSIDC से NOC प्राप्त करने हेतु तथा अन्यथा की स्थिती में छ.ग. शासन के नियमानुसार खरीदे जाने की अनुशंसा की गई।**

03. डॉ. शम्स परवेज़ को मुख्य अन्वेषक के रूप में प्राप्त SERB-DST Research Project EMR/2015/000928, Dated October 01' 2018 में आबंटित Capital Head assets, जिसकी राशि 1538000/- विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है, के अंतर्गत Diffuse reflectance and transmittance UV-VIS Spectrometer with integrated sphere& all required Accessories जिसकी अनुमानित लागत लगभग 14 लाख 54 हजार है, के क्रय हेतु नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

निर्णय : **प्रस्ताव मान्य किया गया।**

04. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) को विश्वविद्यालय यंत्री के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि दिनांक 19.02.2019 से 1 वर्ष की वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री (संविदा) को विश्वविद्यालय यंत्री के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा सेवावृद्धि हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में सेवावृद्धि करने पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया।**

05. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक (दिनांक 13.09.2018) में अनुमोदित संशोधित दर पर परीक्षा पारिश्रमिक व्यय की पूर्ति परीक्षा मद से प्राप्त आय से किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 में प्रस्ताव क्रमांक 04 में Ordinance No. 5 Conduct of Examination (APPENDIX : Remuneration for Examination Work) के अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय का परीक्षा पारिश्रमिक व्यय, संशोधित दर अनुसार अधिसूचना प्रसारित करने हेतु वर्तमान वित्तीय सत्र 2018–19 में 6.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 3.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय–भार संभावित है, यह अनुमानित व्यय–भार हैं, वास्तविक व्यय–भार की गणना क्रियान्वयन के पश्चात् ही की जा सकेगी। इस अनुमानित व्यय भार की पूर्ति परीक्षा मद में प्राप्त आय से किये जाने का प्रस्ताव मान्य किया गया एवं अधिसूचना जारी किए जाने की अनुशंसा की गई।**

06. **विभिन्न संकायों में पी–एच.डी. उपाधि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 24.10.2018 से 29.12.2018 (अधिसूचना क्रमांक 3152 से 3180 तक) की अनुमोदन कर सूचना की गई।**

निर्णय : विभिन्न संकायों में पी–एच.डी. उपाधि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 24.10.2018 से 29.12.2018 (अधिसूचना क्रमांक 3152 से 3180 तक) की अनुमोदन कर सूचना ग्रहण किया गया –

कला संकाय	–	6
सामाजिक विज्ञान संकाय	–	8
प्रबंध संकाय	–	2
गृह विज्ञान संकाय	–	3
विज्ञान संकाय	–	9
जीव विज्ञान संकाय	–	1

07. दीक्षांत समारोह के अपरिहार्य कारणों से निलंबित होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों को, जिनकी पी–एच.डी. उपाधि कार्यपरिषद् से अनुमोदित है, को उनकी मांग के आधार पर पी–एच.डी. उपाधि जारी किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

08. दिनांक 28 फरवरी, 2019 को तथा 1 मार्च, 2019 को '17वाँ छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस' आयोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 7920/अका./का.प/2019 **रायपुर, दिनांक 23/01/2019**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)